न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 03/2016

अपीलांट		रेस्पोडेंट्स
1. अमोलकराम पुत्र किशनाराम 2. आदूराम पुत्र किशनाराम जाति दर्जी निवासी आई.जी. नगर रामजी का गोल फांटा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	बनाम	1. हनुमान पुत्र नरसिंगाराम 2. राणाराम पुत्र नरसिंगाराम 3. भरत कुमार पुत्र नरसिंगाराम 4. ताराराम पुत्र सादुलाराम 5. सांवलाराम पुत्र सादुलाराम 6. मु. मूली पत्नी सादुलाराम 7. कुम्भाराम पुत्र जोगाराम 8. चौलाराम पुत्र जोगाराम 9. मिसराराम पुत्र ईशराराम 10.विंजाराम पुत्र ईशराराम 11.आम्बाराम पुत्र ईशराराम 12.खेताराम पुत्र ईशराराम 13.रावताराम पुत्र गणेशाराम 14.मु. धनी पत्नी गणेशाराम जातियान दर्जी निवासी रामजी का गोल फांटा तहसील गुड़ामालानी 15.मैनेजर एस.बी.बी.जे. शाखा गुड़ामालानी 16.तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.11.2010 जो तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थित– 1. अपीलांटस उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट संख्या 13 उपस्थित
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 12 व 14 से 16 अनुपस्थित।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय

दिनांक 22.6.2016

1. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांटस व रेस्पोडेंटस संख्या 1 से 14 की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा रामजी का गोल फांटा के खसरा नंबर 843

अपर कलक्टर बाड़मेर
(आर.ए.एस.)

रकबा 142.03 बीघा व 843/2 रकबा 2.08 बीघा अपीलांटस व रेस्पोडेंटस संख्या 13 व 14 हिस्सा 1/4, रकबा 144.11 में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 हिस्सा 1/6, मौजा बेरड़ो का पाना के खसरा नंबर 501 रकबा 24.19 बीघा रेस्पोडेंटस संख्या 7 व 8 हिस्सा 1/3 एवं मौजा माछरों की ढाणी के खसरा नंबर 542 रकबा 10.04 बीघा रेस्पोडेंट संख्या 9 से 12 हिस्सा 1/4 आई हुई है। उक्त मौजा रामजी के गोल फांटा के खसरा नंबर 843 में सभी पक्षकार अपने–अपने हिस्सानुसार काबिज है एवं अपीलांटस व रेस्पोडेंट संख्या 13 व 14 का संयुक्त रूप से इस खसरे में खातेदारी हिस्सा 1/4 है। प्रशासन गांवो के संग अभियान 2010 के दौरान् रेस्पोडेंटस संख्या 1 से 12 ने हल्का पटवारी के साथ मिल कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर एवं अपीलांट संख्या 02 जो मजदूरी करने हेतु गुजरात गया हुआ था, को बुलाकर विभाजन प्रस्ताव पर यह कह हस्ताक्षर करवाये कि अपीलांटस को उनके हिस्सानुसार प्रत्येक खेत में भूमि दी गई एवं रास्तो हेतु भूमि छोड़ी गई हैं तथा सभी पक्षकार नहर से लाभान्वित भी होगें। हल्का पटवारी ने पक्षकारान विशेष से प्रभावित होकर राजस्व अभियान के दौरान् दिनांक 24.11.2010 को विभाजन आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी से पारित करवा दिया। विभाजन अनुसार रेकर्ड में दर्ज होकर लट्ठा ट्रेस में तरमीम कर दी गई। तदोपंरात रेस्पोडेंटस संख्या 7 व 8 ने अपीलांटस के आवागमन में बाधा उत्पन्न करते हुए अवगत कराया कि यहाँ से आवागमन का कोई रास्ता नहीं है एवं न ही अपीलांटस का खेत नहर से जुड़ा हुआ है। इस पर अपीलांटस ने विभाजन आदेश की नकले प्राप्त की तो उसे वास्तविक स्थिति जानकारी हुई। इस विभाजन आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का ज्ञान पूर्व मे नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर मियाद सुमार करने का भी निवेदन किया। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किया।

2. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पाडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया।

3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार केम्प कोर्ट गुड़ामालानी में पेश हुई जिसके लिये उभय पक्ष के अभिभाषकगण एवं पक्षकारों को नोटिस की तामिल करा दी गई थी। अपीलांटस एवं रेस्पोडेंट संख्या 13 उपस्थित। दीगर रेस्पोडेंटस अनुपस्थित।

4. अपीलांटस ने जाहिर किया कि तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2010 मौके की स्थिति अनुसार नहीं है। भूमि का विभाजन पक्षकारान के हिस्सानुसार

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

नहीं हुआ है तथा अपीलांटस को विधिक हिस्से से कम भूमि दी गई है। रेस्पोंडेंट संख्या 7 व 8 का सामलाती रूप से हिस्सा 1/3 है परन्तु उन्हें नहर से लगती हुई भूमि ज्यादा दी गई जबकि नहर से लगती भूमि में अपीलांटस का हिस्सा होने के बावजूद कोई भूमि नहीं रखी गई इसप्रकार विभाजन विधिनुकूल न होने से किये जाने योग्य है।

5. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2010 पारित करने से पूर्व सम्बनिधत पक्षकारों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया एवं पक्षकारान को उनके पूर्व हिस्से अनुसार भूमि का विभाजन नहीं किये जाने से विभाजन प्रस्ताव खारिज योग्य है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2010 को अपास्त किया जाता है और तहसीलदार गुड़ामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त अनुसार एवं आपसी सहमति के आधार पर पुनः विधिवत आदेश पारित करें।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

आदेश केम्प कोर्ट गुड़ामालानी में आज दिनांक 22.6.2016 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)